न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 28/2020
3. उनवान : सरकार जरिये निशांत पंचोली, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री कानाराम चौधरी पुत्र श्री मुरलीधर चौधरी निवासी ग्राम भोपावास, ढाणी पूरावाली, ग्राम पंचायत हाथनोदा, तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. श्री शंकर लाल चौधरी पुत्र श्री मुरलीधर चौधरी निवासी ग्राम भोपावास, ढाणी पूरावाली, ग्राम पंचायत हाथनोदा, तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. श्री दीपचन्द बुनकर पुत्र श्री बिरदीचन्द बुनकर, निवासी हाथनोदा तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जयपुर ग्रामीण
5. मैसर्स शारदा रोडलाईन्स, एसबी–1, ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा रोड, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 19.03.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर द्वितीय श्री निशांत पंचोली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 14.02.2019 को अप्रार्थी द्वारा मय जांच दल के चौमूं की ग्राम पंचायत हाथनोदा के ग्राम भोपावास के पूरावाली ढाणी स्थित शेरावत किराना स्टोर और शेरावत दुग्ध डेयरी पर रखी गई चीनी के अवैध भंडारण के संबंध में जांच की गई। मौके पर किराणा स्टोर पर अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित मिला। दौराने जांच शेरावत किराणा स्टोर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 27 कट्टे जिनमें कुल 13.40 क्विं0 800 ग्राम चीनी के मिले जिन पर Divine crystals व RSFCSC, Government of Rajasthan मार्का अंकित थे। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 ने बताया कि यह दुकान अप्रार्थी संख्या 1 की है तथा स्वयं पडोस की दुकान में दुग्ध डेयरी संचालित करता है। दुग्ध डेयरी वाली दुकान को अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा किराये पर लिया हुआ था और दोनों इसे आपसी सहमति से संचालित करते थे। डेयरी की दुकान पर कोई चीनी भंडारित नहीं मिली। पूछताछ में अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त चीनी अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा बनवाई गई है। अप्रार्थी संख्या 3 ने बताया कि वह रा.रा.खा.ना.आ.नि. के अनुबंधित ट्रांसपोर्टर शारदा रोड लाईन्स में कार्य करता है। मौके पर रा.रा.खा.ना.आ.नि. जयपुर ग्रामीण के निरीक्षक श्री रामवतार शर्मा ने बताया कि डीलरों के आपूर्ति किये जाने वाले गेहूं की मात्रा के साथ ही अन्त्योदय चीनी भेज दी जाती है लेकिन इस संबंध मे कोई स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया ना ही उक्त चीनी के संबंध में कोई संतोषप्रद उत्तर दिया। वक्त जांच अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने उक्त चीनी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज व दुकान का किरायानाम प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी का भण्डारण अधिकृत स्थान से अन्यत्र पाये जाने के कारण 27 कट्टे जिनमें कुल 13.40 क्विं0 800 ग्राम चीनी थी जब्त की गयी। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, पूछताछ पत्र, फर्द तलपट्टी, नक्शा मौका आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पेश जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी का उक्त प्रकरण में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं है। उक्त परिसर प्रार्थी के पिताजी द्वारा शारदा रोडलाइन्स को गेहूं परिवहन एवं भंडारण हेतु किराये पर दिया हुआ था। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पेश जवाब में

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अंकित किया कि प्रार्थी रा.रा.खा.ना.आ.नि. से अनुबंधित ट्रांसपोर्टर शारदा रोड लाईन्स में कार्य करता है। उक्त परिसर श्री मुरलीधर द्वारा चीनी भंडारण हेतु किराये पर लिया हुआ है। मौके पर प्रार्थी एवं रसद सतर्कता निरीक्षक के सामने चीनी के 27 बैग पाये गये जो कि अस्थायी रुप से किराये पर लिया गया था। निगम के जे.सी.ओ. स्टाक रजिस्टर के अनुसार प्राप्त स्टाक सही था। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पेश जवाब में अंकित किया कि शारदा रोड लाईन्स को खाद्यान्न एवं चीनी की स्टेप डिलीवरी हेतु परिवहनकर्ता नियुक्त किया हुआ है। फर्म ने 14.11.2018 को गेहूं के साथ–2 चीनी की आपूर्ति हेतु अस्थाई भण्डारण के लिए गोदाम का नक्शा प्रस्तुत किया। नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा फर्म की दी गई चीनी और फर्म के वितरण के पश्चात 27 कट्टे चीनी बची होनी चाहिए थे और जांच दल को भौतिक सत्यापन में भी 27 कट्टे चीनी पायी गई। फर्म द्वारा जिस स्थान का नक्शा अस्थायी गोदाम के लिए विभाग को दिया गया, जांच दल को भी उसी परिसर में चीनी भण्डारित मिली। यह व्यवस्था मात्र आपूर्ति सुचारु रुप से करने के उददेश्य से अस्थाई रुप से की गयी थी जिससे निगम को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। फर्म द्वारा जहां चीनी संधारण किया जा रहा था उस स्थान को लकडी की संरचना से अलग किया हुआ था एवं गोदाम स्वामी द्वारा स्वयं का व्यवसाय अलग किया जा रहा था। फर्म द्वारा प्रेषित सूचनानुसार ही गोदम पर चीनी रखी गई थी जिसे अनाधिकृत नहीं कहा जा सकता। चीनी की किसी प्रकार से मात्रात्मक एवं गुणात्मक हानि नहीं हुई है ना ही उसकी किसी तरह से कालाबाजारी की जा रही थी। निविदा एवं कार्यादेश की शर्तों के तहत फर्म आवश्यकतानुसार कार्यालय को सूचित करते हुए खाद्यान्न/चीनी का भण्डारण कर सकते हैं। इसलिए फर्म द्वारा नियमानुसार ही चीनी की आपूर्ति की जा रही थी। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब को ही बहस के रुप में स्वीकार करने का निवेदन किया है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 19.03.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.02.2019 को अवैध रुप से भण्डारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी को जब्त किया। अप्रार्थी संख्या 5 ने अपने जवाब में अंकित किया कि उन्हे जब्त चीनी का भण्डारण उक्त परिसर में करने की अनुमति प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जयपुर ग्रामीण से प्राप्त थी जिसकी पुष्टि विभाग ने अपने जवाब में की। जिस परिसर के लिए अप्रार्थी संख्या 5 को चीनी का भण्डारण की अनुमति प्राप्त थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उस परिसर में डेयरी की दुकान और किराना की दुकान भी संचालित की जा रही थी जो कि संदेहास्पद है। किराने की दुकान में केवल एक लकडी का पार्टिशियन करके चीनी का भण्डारण किया हुआ था और मौके पर जब्त चीनी के कट्टों में से 1 कट्टे में लगभग 10 किग्रा. चीनी कम पायी गयी। जिससे यह पुष्टि होती है कि किराने की दुकान की आड में चीनी की कालाबाजारी की जा रही थी। उक्त परिसर पर चीनी के संबंध में कोई स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं है। मौके पर एक वितरण रजिस्टर संधारित मिला जिसमें पेज 1 से 5 खाली है, पेज 24 से 108 खाली फिर 109 से 110 पर चीनी आपूर्ति का वितरण अंकित है जो कि संदेहास्पद है। उक्त कृत्य अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 27 कट्टे मय कुल 13.48 क्विं0 चीनी राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III
JAIPUR

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर